ई-मेल

संचालनालय लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462021

दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651

ई–मेल **dpimp@sancharnet.in**

क्रमांक अनुदान/सी/2/मंदसौर/09–10/149 भोपाल, दिनांक 10-03-10

आदेश

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1409/98 सुश्री प्रमिला कदम, अनुदान प्राप्त अशा. कन्या उ. मा.वि. मंदसौर, अवमानना याचिका क्रमांक 592/09 में प्रस्तुत न्यायालयीन आदेश दिनांक 31.1.2008 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.6.08 के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :–

याचिकाकर्ता द्वारा उललेखित अनुसार इनकी नियुक्ति जैन शिक्षण प्रसार समिति मंदसौर द्वारा दिनांक 11.10.1973 को व्याख्याता के पद पर की गई तथा वर्ष 75–76 के स्टाफ लिस्ट में आवेदिका का नाम अंकित है किन्तु समिति द्वारा इन दस्तावेजों को बोगस बताया गया है । दिनांक 1.7.85 को समिति के तत्कालीन प्रशासक एवं डिप्टी कलेकटर मंदसौर द्वारा संभागीय शिक्षण अधीक्षक उज्जैन संभाग को प्रेषित पत्र में कार्यकारिणी द्वारा सुश्री कदम को नियम विरूद्व पदावन्नत करने की जानकारी दी गई । संभागीय शिक्षण अधीक्षक उज्जैन के द्वारा संचालनालय को दी गई जानकारी के अनुसार आवेदिका वर्ष 73 से 75 तक व्याख्याता के पद पर कार्यरत होना बताया गया । इसी प्रकार समिति द्वारा भी संचालनालय लोक शिक्षण को प्रेषित पत्र में आवेदिका के वर्ष 73 से व्याख्याता के पद पर पदस्थ होने की जानकारी दी गई । संस्था में पदस्थ एक अन्य व्याख्याता श्रीमती विजया अहलूवालियाको उ0श्रे0शि0 के पद पर प्रत्यावर्तन के आदेश को लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश द्वारा निरस्त किया गया तथा उन्हें व्याख्याता मान्य किया गया । आवेदिका को भी व्याख्याता पद से उ0श्रे0शि0 पद पर पदावन्नत किया गया किन्तु उन्हें उपर्युक्त प्रकरण के समान व्याख्याता पद पर मान्य नहीं किया गया । दिनांक 1.7.76 से उनके द्वारा सहायक अध्यापिका का कार्यभार ग्रहण करते समय संस्था द्वारा आपत्ति ली गई थी किन्तु त्रुटिवश उनकी कोई प्रतिलिपियॉ न रखने के कारण उनकी नियुक्ति दिनांक 11.10.73 से व्याख्याता के पद पर मान्य नहीं की गई । सुश्री कदम के प्रकरण के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण के समक्ष सुनवाई उपरांत दिनांक 14.5.98 को स्पीकिंग आदेश जारी किया था जिसमें प्रकरण को अमान्य किया गया था । उक्त आदेश को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.1.08 को पारित आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । जिसके परिपेक्ष्य में उनका अभ्यावेदन स्वीकार कर समिति द्वारा पुनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जिसके संबंध में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति स्पष्ट होती है :–

1. दिनांक 5.5.1973 को आवेदिका द्वारा शिक्षिका के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया । संस्था द्वारा उपलबध कराई गई सेवा पुस्तिका में दिनांक 1.7.76 को नि0श्रे0शि0 के पद पर कु0 प्रमिला कदम को नियुक्त किया गया एवं सेवा पुस्तिका में आवेदिका के हस्ताक्षर भी अंकित हैं ।
2. वर्ष 1975–76 के स्टाफ लिस्ट में आवेदिका का नाम तो अंकित है और व्याख्याता के पद पर होना दर्शाया गया है किन्तु सुश्री कदम अथवा संस्था द्वारा दिनांक 11.10.73 से व्याख्याता के पद पर नियुक्ति संबंधी कोई पत्र उपलबध नहीं कराया गया है ।
3. समिति के तत्कालीन प्रशासक एवं डिप्टी कलेक्टर मंदसौर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 1.7.85 में कु0 कदम की मूल नियुक्ति दिनांक 11.7.73 को व्याख्याता के पद पर होना बताया गया है तथा दिनांक 1.8.77 को पदावन्न किये जाने का उललेख किया गया है जबकि दिनांक 1.7.76 को कु0 प्रमिला कदम नि0श्रे0शि0 के पद पर कार्यरत होकर नियुक्त थी तो यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 1.7.76 से 1.8.77 तक दो–दो पदों में एक ही अवधि में कैसे कार्य

कर सकता है । इसी प्रकार संभागीय शिक्षा अधीक्षक उज्जैन संभाग के पत्र दिनांक 19.10.87 द्वारा भी इनको वर्ष 73 से 75 तक व्याख्याता पद पर कार्यरत होना दर्शाया है ।

4. श्रीमती विजय अहलुवालिया की व्याख्याता के पद पर 1.8.75 से 31.8.78 तक व्याख्याता के पद पर कार्यरत होने के प्रमाण उपलबध होने के बाद भी संचालनालय द्वारा उन्हें व्याख्याता पद पर मान्य किया गया था जबकि सुश्री कदम द्वारा व्याख्याता पद की नियुक्ति/पदावन्नति संबंधी कोई अभिलेख उपलबध नहीं कराये गये । प्रकरण से स्पष्ट है कि कु0 कदम द्वारा पूर्व के दिये गये तथ्यों के अलावा कोई नया प्रमाण अथवा तत्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनकी वर्ष 73 से व्याख्याता पद पर नियुक्ति स्पष्ट हो, अपितु तत्कालीन प्रशासक एवं डिप्टी कलेक्टर मंदसौर के पत्र दिनांक 1.7.85 तथा संभागीय शिक्षा अधीक्षक उज्जैन के पत्र दिनांक 19.10.87 के अवलोकन से भी इनकी व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के संबंध में अलग–अलग अवधि दर्शाना विरोधाभासी है ।

अतः सुश्री प्रमिला कदम के अभ्यावेदन दिनांक 24.6.08 के परिपेक्ष्य में उनको दिनांक 11.10.73 से जैन शिक्षण प्रसार समिति में व्याख्याता पद पर मान्य किये जाने एवं संचालक लोक शिक्षण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.3.93 को निरस्त करने के आवेदन पर पूर्ण परीक्षणोपरान्त प्रकरण अमान्य किया जाता है ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 10.03.10

पृ. कमांक अनुदान/सी/2/मंदसौर/09–10/150

प्रतिलिपि :–

1/ प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर उनके द्वारा नस्ती क. आर. 178/2010/20–3 दिनांक 2.3.10 को दी गई टीप के कम में सूचनार्थ ।
2/ सयुक्त संचालक विधि कक्ष (स्थानीय) लोक शिक्षण संचालनालय
3/ संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ट इंदौर
4/ जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर
5/ संबंधित सुश्री प्रमिला कदम द्वारा जैन कन्या उ.मा.वि. मंदसौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश